(29) Entry

अंचल अधिकारी का कार्यालय, बलियापुर (धनबाद)

जमावंदी रदद अभिलेख वाद सं0– 652 /2016–17

वाद का प्रकार :– बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कार्रवाई से सबंधित।

28/9/16 झारखंड सरकार के ज्ञापक–2074/रा0, दिनांक 13.05.2016 सहपठित श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, भू–अर्जन–सह–विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र सं0–3–रा0म0नीति–119/85/2308/रा0, दिनांक 03.09.1985 एवं सह–पठित राजस्व विभागीय परिपत्र सं0–914/रा0 दिनांक 09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारम्भ की गई। जाँच के क्रम में हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :–

मौजा आसनबनी थाना नं0 192 जमा0सं0 94 खाता सं0 13 प्लॉट सं0 342 रकबा 0.80 एकड़ भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार (झारखंड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी–।। पर जमाबंदी रैयत ... के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरूद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध कोड़कर बन्दोबस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गई है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू–खंड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की माग करे तथा उनको कारण पृच्छा करे, कि क्यों उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक 6/10/16 को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी,
बलियापुर।

अंचल अधिकारी,
बलियापुर।

D:\Nitai\Najir Doc\jmabandi radh abhilekh 14

6/10/16 अभिलेख उपस्थापित। जमाबन्दीदार के पुत्र द्वारा

24/4/18 न्यायालय में उपस्थित होकर उक्त भूमि से संबंधित वर्ष 78 का केवल एक लगान रसीद की छाया प्रति प्रस्तुत किया गया है, जो उनके भूमि पर दावे के लिए पर्याप्त नहीं।

अतः उन्हें पुनः अभिलेखागार से निर्गत का उक्त भूमि से संबंधित ठोस कागजातों की मांग की, तथा अभिलेख दिनांक 4/5/18 को रखें।

अंचल अधिकारी
[illegible]

4/5/18 अभिलेख उपस्थापित। जमाबन्दीदार के पुत्र द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर उक्त भूमि से संबंधित वर्ष 2008 का केवल एक लगान रसीद प्रस्तुत किया गया है। उनके द्वारा ऐसा कोई ठोस साक्ष्यों से संबंधित कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो उनके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो।

अतः ऐसी परिस्थिति में उक्त जमाबन्दी को रद्द करने की अनुशंसा की जाती है। अग्रेतर कार्रवाई हेतु अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्ता, जहानाबाद को भेजें।

04.05.18
अंचल अधिकारी
[illegible]

अंचल अधिकारी का कार्यालय, बलियापुर (धनबाद)।

वाद अभिलेख संख्या– 652 /2016 (अन्तर्गत धारा–4(h), BLR Act. 1950)

सूचना

बनाम

मोती मल्लिक पि० फुचकु मल्लिक

सा० आमनगरी कालीपुर

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा आमनगरी मौजा नं० 192 खाता नं० 63 प्लॉट नं० 342 रकबा 0.80 डी० से संबंधित आपके नाम से हल्का नं० VI के राजस्व कर्मचारी ने अचल निरीक्षक के माध्यम से जॉंचपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त सबध में दिनांक 6/10/16 को समय 11:00 बजे पूर्वाह्न में उक्त भूमि का रिटर्न–I, भूमि बन्दोबस्ती से सबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वार निर्गत जमींदारी रसीदों, फार्म M एवं सरकार मे जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, निर्गत परवाना एव अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ मे उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबध मे आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए दर्ज जमाबन्दी के संबध मे युक्ति–युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकीद जानें।

[signature] 29/09/16

अचल अधिकारी,
बलियापुर।

29/9/16

मैंने भागवत मल्लिक के पिता – मोती मल्लिक

नोटिस तामिला किया चौक २४ सफ़ ......
04/10/16

D:\Nital\Major Doc\Court matter